भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

मौखिक प्रश्न सं. +*163

सोमवार, 14 मार्च, 2022/23 फाल्गुन, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन क्षेत्र का विकास

+*163. सुश्री सुनीता दुग्गलः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोविड-19 वैश्विक महामारी की अवधि के दौरान पर्यटन क्षेत्र ने अब तक नकारात्मक विकास दर्शाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए कुछ ठोस नीतियां बनाने की योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को निःशुल्क ई-पर्यटक वीज़ा प्रदान करने की योजना बना रही है और चरणबद्ध तरीके से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें पुनः आरंभ कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए राज्यों को विशेष दिशानिर्देश दिए हैं; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ड.) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

पर्यटन क्षेत्र का विकास के संबंध में दिनांक 14.03.2022 के लोक सभा मौखिक प्रश्न सं. +*163 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में **विवरण**

(क) : जी, हां महोदय । पर्यटन क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के दौरान नकारात्मक वृद्धि लक्षित हुई है।

(ख), (घ) और (ड.) : पर्यटन मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति तथा रोडमैप – आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक पहल तैयार की है जिसे संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों और उद्योग हितधारकों को परिचालित किया गया है । यह कार्यनीतिक दस्तावेज निम्नलिखित प्रमुख स्तंभों पर फोकस करता है :

i. ग्रामीण पर्यटन हेतु आदर्श नीतियां तथा उत्कृष्ट कार्यपद्धतियां
ii. ग्रामीण पर्यटन हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकियां तथा प्लेटफार्म
iii. ग्रामीण पर्यटन हेतु कलस्टरों का विकास
iv. ग्रामीण पर्यटन हेतु विपणन सहायता
v. हितधारकों का क्षमता निर्माण
vi. शासन एवं संस्थागत कार्यढांचा

उपरोक्त के अतिरिक्त चिकित्सा मूल्य यात्रा और निरोगता पर्यटन हेतु एक गंतव्य के रूप में भारत के संवर्धन के लिए पर्यटन मंत्रालय ने चिकित्सा एवं निरोगता पर्यटन हेतु एक राष्ट्रीय कार्यनीति और रोडमैप तैयार किया है जो संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों और उद्योग हितधारकों को परिचालित किया गया है । इस कार्यनीति में निम्नलिखित मुख्य स्तंभों को अभिज्ञात किया गया है :

(i). एक निरोगता गंतव्य के रूप में भारत के लिए ब्रांड का विकास करना
(ii). चिकित्सा एवं निरोगता पर्यटन के लिए ईकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाना
(iii). ऑनलाइन एमयूटी पोर्टल की स्थापना द्वारा डिजिटलीकरण को संभव बनाना
(iv). एमयूटी के लिए सुगम्यता में वृद्धि
(v). निरोगता पर्यटन को बढ़ावा देना
(vi). शासन एवं संस्थागत कार्यढांचा

इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय ''अतुल्य भारत'' ब्रांड के अंतर्गत एक संपूर्ण पर्यटक गंतव्य के रूप में भारत का संवर्धन करता है और आतिथ्य सहित घरेलू सवंर्धन और प्रचार (डीपीपीएच) तथा बाजार विकास सहायता सहित विदेशों में सवंर्धन एवं प्रचार (ओपीएमडी) जैसी इसकी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सवंर्धनात्मक कार्यकलाप किए जाते हैं । मंत्रालय के सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइट (www.incredibleindia.org) के माध्यम से भी नियमित रूप से संवर्धन का कार्य किया जाता है ।

कोविड-19 महामारी के बाद मंत्रालय ने सामाजिक दूरी, सुरक्षित एवं जिम्मेदार यात्रा, यात्रा के समय मास्क के उपयोग, आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने, उद्योग जगत के लिए की गई पहलों को बढ़ावा देने आदि के बारे में अपने संदेशों के माध्यम से समाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने सोशल मीडिया हैंडल्स का भी प्रभावी ढंग से उपयोग किया है । विदेशों में एक गंतव्य के रूप में भारत के संवर्धन के लिए यह मंत्रालय एकीकृत विपणन एवं संवर्धनात्मक कार्यनीति तथा यात्रा व्यापार, राज्य सरकारों और भारतीय मिशनों के सहयोग से एक समन्वित अभियान चलाता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मेलों तथा प्रदर्शनियों में भागीदारी, भारत को जानें संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, रोड शोज़ तथा इंडिया इविनिंग्स का आयोजन, ब्रॉशर सहायता, यात्रा एजेंटों/टूर ऑपरेटरों के साथ संयुक्त रूप से विज्ञापन, भारतीय खाद्य एवं सांस्कृतिक महोत्सवों का आयोजन और उन्हें सहायता प्रदान करना, ब्रॉशर्स का प्रकाशन और मंत्रालय के आतिथ्य कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे देश की यात्रा हेतु टूर ऑपरेटरों, मीडिया हस्तियों, ओपीनियन मेकर्स आदि को आमंत्रित करना शामिल है ।

(ग) : गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एमओएच एंड एफडब्ल्यू के कोविड संबंधी दिशानिर्देशों के अध्यधीन पर्यटन के प्रयोजन से भारत की यात्रा करने के इच्छुक सभी विदेशी नागरिकों के लिए प्रतिबंधों में ढील दी है । दिनांक 15 नवम्बर, 2021 से पर्यटन के प्रयोजन हेतु भारत की यात्रा करने के इच्छुक सभी व्यक्तिगत विदेशी नागरिकों के लिए ई-पर्यटक वीजा /पर्यटक वीजा पूर्णत: बहाल हो गया है । प्रारंभिक रूप से ई-पर्यटक /पर्यटक वीजा 30 दिन की वैधता अवधि के साथ जारी किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए प्रथम पांच लाख वीजा के नि:शुल्क होने की घोषणा की है ।

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद और कोविड-19 के मामलों में गिरावट के मद्देनजर 27 मार्च, 2022 अर्थात् ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम 2022 के आरंभ से भारत में आने/से जाने के लिए निर्धारित वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय यात्री सेवाएं बहाल करने की घोषणा की है ।

*****